

Beti

सूचना अधिकार के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र का प्रस्तावित प्रारूप

CPHO
MUM
25/7/16

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी महोदय

जहाँ से सूचना प्राप्त करनी हो कार्यालय/विभाग का नाम राष्ट्रीय शक्ति

पता : संस्थान कल्याणपुर कानपुर-208017

आवेदक का नाम : दीपा शुक्ला c/o कौशल पाठेय

आवेदक का पता : म. नं. 3/5 मौनीघाट आजादनगर-208002

फोन/फैक्स/ई-मेल

मांगी गयी सूचनाओं का विन्दुवार विवरण

यह कि जरेन्द्र देव पुत्र श्री राजाराम बर्मा जो आपके कर्मलय में करिव 8 तकनीकी ज्येष्ठिकी के पद पर कार्यरत हैं, उन्हे कब व किन कारणों से हटास्त किया गया, बर्हास्तगी आदेश की प्रति प्रेषित करें ?

यदि सूचना किसी कार्यवाही से सम्बन्धित हो तो उसका गह एवं वर्ग अंकित करें।

दि 2016


किरी. एक को चिन्हित करें : 1. दस्तावेज की प्रतिलिपि चाहिए।


2. निरीक्षण करना है।

सूचना/जानकारी कैसे प्राप्त करना चाहेंगे स्वयं आकर अथवा डाक द्वारा यहाँ लिखें डाक द्वारा

यदि आवेदक BPL कार्ड धारक है अथवा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है तो उसे कोई भी शुल्क नहीं लगाना होगा। परन्तु BPL प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।

में सूचना प्राप्त करने हेतु शुल्क के 10 रुपये का बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल ऑर्डर बैंकर्स पे आर्डर/ट्रेजरी चालान/नकद (एक ही चिन्हित करें) को साथ में संलग्न कर रहा हूँ जिसका नं. 34F23251 दिनांक 24/07/16 है। कृपया समयान्तर्गत सूचनाये उपलब्ध करने की कृपा करें।


आवेदक के हस्ताक्षर



राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

एक आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित संस्थान

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
(भारत सरकार)

स्वीड जल

* Enclosure
समाप्त है

दूरभाष-0512-2570541-43

फैक्स :0512-2570247

कानपुर, दिनांक- 18, अगस्त, 2016

जारी

संख्या 66

दिनांक 22/8/2016

राकेश

सेवा में,

सुश्री दीपा शुक्ला
द्वारा- कौशल पाण्डेय,
म0नं0 3/5 मौनीघाट,
आजाद नगर-208002
कानपुर

विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना के संदर्भ में ।

महोदय,

आपके द्वारा जन सूचना अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिनांक 22-07-2016 को मांगी गई सूचना की छायाप्रति कुल 01 पृष्ठ में है जिसे जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित शुल्क रुपये-02/-प्रति पृष्ठ की दर से कुल रुपये- 02/- संस्थान के कोषागार में किसी भी कार्य दिवस पर कैंश अनुभाग में जमा कर उचित रसीद अधीनस्थ अधिकारी के कार्यालय में देकर प्राप्त कर सकते हैं। अथवा निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर के चन् देव डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/भारतीय पोस्टल आर्डर, जोकि कानपुर में देय हो, के माध्यम से डाक द्वारा प्रेषित कर प्राप्त कर सकते हैं ।

अपका यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप उपरोक्त मांगी गई जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में आप इस पत्र के जारी करने से 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपील कर सकते हैं -

श्री सुरेन्द्र मोहन,

निदेशक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान,

भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग,

कानपुर-208017

मवदीय,

(राकेश शुक्ला)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं
केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी